राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

क्रमांकः संस्था./अचल सम्पत्ति/2021/ दिनांकः

–:: आदेश ::–

कार्मिक (क–1/गो0प्र0)/विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क–1/गो.प्र./2011 जयपुर दिनांक 29.06.2021 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समस्त राजकीय कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति का विवरण दिनांक 01.01.2021 एवं इसके पश्चात्वर्ती वर्षों की अचल सम्पत्ति का विवरण ऑनलाईन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में समस्त राजकीय कार्मिकों को वर्ष 2020 के लिए (01 जनवरी 2021 की स्थिति में) अपनी अचल सम्पत्ति विवरण 01 जुलाई 2021 से 31 अगस्त 2021 तक आवश्यक रूप से भरे जाने का प्रावधान किया गया है जिसके तहत राज्य में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति विवरण ऑनलाईन किया जायेगा तथा जिन कर्मचारियों द्वारा उक्त सूचना प्रस्तुत नहीं की जावेगी उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वार्षिक वेतन वृद्धि व विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जायेगी।

अतः इस कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2020 के लिए (01 जनवरी 2021 की स्थिति में) अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण SSO-ID से राज–काज सॉफ्टवेयर पर 01 जुलाई 2021 से 31 अगस्त 2021 तक ऑन–लाईन कर पालना से अवगत करावें, अन्यथा संबंधित कार्मिक की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वार्षिक वेतन वृद्धि व विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जायेगी।

उक्त आदेशों की कठोरता से पालना की जावे।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली

क्रमांक–सम/2322-2330 दिनांकः 01/07/2021

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग, जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी, समस्त/सहायक कलक्टर, करौली/तहसीलदार, समस्त/जिला रसद अधिकारी/कोषाधिकारी, जिला करौली को प्रेषित कर उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित।
3. उपनिदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, करौली को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. शाखा प्रभारी, समस्त अनुभाग, कार्यालय हाजा को उक्तानुसार उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने/कराये जाने हेतु प्रेषित।
6. निजी सहायक, जिला कलक्टर/अति. जिला कलक्टर, करौली।
7. समस्त कार्मिक ....द्वारा: **कार्यालयाध्यक्ष**।
8. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।

(8)

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर

784

Estt.PK.Order